

कायंलय निलाम पत्र पदाधिकारी-सह-
अंवल अधिकारी- केरली- जिला- वोकराई

मु० सं० 1
08

भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, चन्द्रपुर शाखा
बनाम

179

श्री नारायण हंसदा पिता स्वराज सुन्दर हंसदा

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर मु० सं०-	आदेश पर दी गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

5.7.08

अधियाचना पदाधिकारी सह
शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक चन्द्रपुर
के शाखा प्रबंधक ने श्री श्री नारायण हंसदा
पिता - स्वराज सुन्दर हंसदा
साकिन - श्री पिपराडी
धाना - चन्द्रपुर जिला -
वोकराई के विस्त मो०-
13,563-1 रुपये का निलाम पत्र का
मुकदमा दायर किया है।

अधियाचना परिपत्र परिपूर्ण है,
तथा मा०- 1672/- रु०
का कोर्ट फी स्टाम्प संलग्न है।

लोक मांग वसूली अधिनियम के
तहत धारा 7 का सूचना निर्गता करें,
अभिलेख तामिला प्रतिवेदन को संलग्न
कर दिनांक- 5/8/08 को
उपस्थापित करें।

05/08/2008 अभिलेख उपस्थापित किया गया)

12/12/24 देवदाल के विरुद्ध निर्गत धारा

७७ के ^{सह} मोर्टिस का नार्मल

पुनर्वहन उपस्थित है। पुनः

धारा ७७ के ^{सह} मोर्टिस निर्गत रहे।

अभिलेख दिनांक 03/01/24 को
एवं)

गोपाल ^{सह} निर्गत
म-530

P-09
12/12/20

03-01-25
19.0.25

अभिलेख उपस्थापित /

देवदाल धर्मनारायण सोहदा, ग्राम-बुवेली

पिपराडीह, माता-चन्द्रपुरा जिला-बोकारो

द्वारा आवेदन देकर दायित्व किया गया

है कि भारतीय स्टेट बैंक, चन्द्रपुरा ब्रंच

से एी गई तद्वत की राशि अंश 17500.00

तक जमा कर दिया गया है। साथ ही

शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, चन्द्रपुरा

का No Dues प्रमाण पत्र की कापी प्रती दायित्व

किया गया है। जिसके द्वारा उनके पत्रांक

FO/12 दिनांक 25-04-2012 के द्वारा पुनर्निर्गत

किया गया है कि देवदाल द्वारा बकाया राशि

जमा कर दिया गया है। देवदाल के विरुद्ध

देनदार के तलवना राशि प्राप्त कर
वाद की कार्रवाई समाप्त करने का
अनुरोध किया गया है। देनदार द्वारा
तलवना राशि के रूप में 50-00 रुपये
का 'कोर्ट फी' जमा किया गया।

अतः शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट
बैंक, पन्डपुरा के द्वारा निर्गत पत्र सं. FO/12
दिनांक 25-04-2012 के अलोक में इस
वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।


नीलाक कपूर/बिबी/मो
- 48 -
अंजल मुखिया
पन्डपुरा